

न्यायालय, भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)।

आदेश पत्रक

ORDER SHEET

अभिलेख हस्तक 1941 नियम-129

Record Manual 1941 Rule-129

Schedule-14 Form No.-562

..... वाद संख्या-**SAR-17**..... वर्ष.....**2022-23**..... धारा-**छो.का.अधि., 1908** की धारा-**71 (ए)**



.....Case No.....Year.....Section -

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक **इसमाइल उराँव वगै०**

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी **झारखण्ड सरकार वगैरह**

Appellant/F.P/Petitioner

Respondent/S.P./O.P.

आदेश की क्रमांक/तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश पर की गई कार्रवाई तिथि सहित Action taken on order with date														
<p><u>17.11.2022</u></p>	<p>आवेदक-1) इसमाइल उराँव, 2) कालीया एक्का उर्फ कल्याण उराँव, दोनों पे०-माकेस उराँव, सा०-जारगो, बासु टोला, डाकखाना-जारगो, थाना-तमाड़, जिला-राँची ने अपने विद्वान अधिवक्ता कबीर स्वाँवी के माध्यम से द्वितीय पक्ष:-झारखण्ड सरकार वगैरह के विरुद्ध निम्नलिखित भूमि पर भू-वापसी का वाद दायर किया गया है। आवेदक का कहना है कि निम्नांकित जमीन को विपक्षी ने छल प्रपंज से नाजायज ढंग से कब्जा कर लिया है। जिसे छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-71 (ए) के तहत कार्रवाई कर जमीन को वापस दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।</p> <p align="center">भूमि विवरणी</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना</th> <th>थाना सं.</th> <th>खेवट सं.</th> <th>खाता सं.</th> <th>खेसरा सं.</th> <th>रकवा</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>जारगो</td> <td>तमाड़</td> <td></td> <td>3</td> <td>7</td> <td>436, 437, 438, 439 440, 441 442, 443 444, 493 494, 500 511, 512 517, 518 520, 495</td> <td>14.09 एकड़</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदन पंजीकृत कर उभय पक्ष को कारण पच्छा हेतु नोटिस निर्गत करें साथ ही अंचल अधिकारी, तमाड़ से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। अभिलेख दिनांक- <u>15.12.2022</u> को रखें।</p> <p align="right">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)। </p> <p> <u>15.12.2022</u> अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से वकालतनामा दी गयी। दिनांक- 29.12.2022 को रखें। </p> <p align="right">  भूमि सुधार उपसमाहर्ता, बुण्डू (राँची)। </p> <p> <u>29.12.2022</u> अभिलेख उपस्थापित प्रथम पक्ष के द्वारा डायरी दी गयी। द्वितीय पक्ष की ओर से क्रं- 04 एवं 08 का वकालतनामा के साथ दोष विपक्षी का डायरी। </p>	मौजा	थाना	थाना सं.	खेवट सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा	जारगो	तमाड़		3	7	436, 437, 438, 439 440, 441 442, 443 444, 493 494, 500 511, 512 517, 518 520, 495	14.09 एकड़	
मौजा	थाना	थाना सं.	खेवट सं.	खाता सं.	खेसरा सं.	रकवा										
जारगो	तमाड़		3	7	436, 437, 438, 439 440, 441 442, 443 444, 493 494, 500 511, 512 517, 518 520, 495	14.09 एकड़										

आदेश की क्रमांक/तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	अः कार्य Action order w
29.12.2022	<p>अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के द्वारा इजरी दी गयी। द्वितीय पक्ष की ओर से क्रमांक-04 एवं 08 का वकालतनामा के साथ शेष विपक्षी का (क्रमांक-01 को छोड़कर) इजरी दी गयी।</p> <p>प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वाद में विपक्षी क्रमांक-01 मारवठ साकर द्वारा उपायुक्त, राँची को पक्षकार बनाया गया है, जो इस न्यायालय से तृतीय न्यायालय है। इस संबंध में प्रथम पक्ष के विद्वान अधिवक्ता अपने समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाये। अतः प्रथम पक्ष के आवेदन को अस्वीकृत की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">मूनि 29/12/2022 बुन्दू (राँची)</p>	